

परविहन और वपिणन सहायता योजना

प्रलिस के लयि :

परविहन और वपिणन सहायता योजना, एपीडा, कृषनरियात नीतल 2018, कसिन कनेकट एप

मेन्स के लयि :

परविहन और वपिणन सहायता योजना का संकषपित परचिय एवं संशोधति वशिषताएँ

चरचा में कयों?

हाल ही में वाणजिय और उद्योग मंत्रालय ने नरिदषिट कृषि उत्पादों के लयि परविहन और वपिणन सहायता (TMA) योजना को संशोधति कयि है ।

- यह 1 अपरैल, 2021 या उसके बाद 31 मार्च, 2022 तक परभावी रहेगी ।

परमुख बदि

• परचिय:

- इसे वर्ष 2019 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों में वसतुओं के नरियात को बढ़ावा देने के लयि कृषि उत्पादों के परविहन एवं वपिणन हेतु वत्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च कयि गया था ।
 - सरकार ने वर्ष 2018 में एक कृषि नरियात नीतल को मंजूरी दी जसिका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शपिमेंट को दोगुना करके 60 बलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने है ।
 - APEDA (कृषि और परसंसकृत खाद्य उत्पाद नरियात वकिस प्राधकिरण) भारतीय कृषि एवं खाद्य उत्पादों की नरियात कषमता के वसितार की दशिा में काम करता है ।
- TMA के तहत सरकार भाड़ा शुल्क के एक नश्चिति हसिसे की परतपूरत किरती है और कृषि उपज के वपिणन के लयि सहायता प्रदान करती है ।
 - समय-समय पर नरिदषिट अनुमत देशों को पात्र कृषि उत्पादों के नरियात के लयि अधसिचति दरों पर सहायता उपलब्ध होगी ।
- संशोधति योजना में अन्य कृषि उत्पादों के साथ डेयरी उत्पादों को भी इसके दायरे में शामिल कयि गया है और सहायता की दरों में वृद्धिकी गई है ।
 - सहायता की दरों में समुद्र द्वारा नरियात के लयि 50% और हवाई मार्ग हेतु 100% की वृद्धिकी गई है ।
- TMA की परतपूरत डीजीएफटी (वदिश व्यापार महानदिशालय) के कषेत्रीय अधकिारयिों के माध्यम से की जाएगी ।

• उद्देश्य:

- कृषि उपज की माल दुलाई और वपिणन के अंतरराष्ट्रीय घटक के लयि सहायता प्रदान करना ।
- ट्रांस-शपिमेंट के कारण नरिदषिट कृषि उत्पादों के नरियात के परविहन की उच्च लागत को कम करना ।
- नरिदषिट वदिशी बाज़ारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लयि ब्रांड पहचान को बढ़ावा देना ।

कृषि नरियात नीतल, 2018

- कृषि निर्यात नीति का दृष्टिकोण भारत को कृषि में वैश्विक महाशक्ति बनाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिये उपयुक्त नीतित्त माध्यमों के ज़रिये भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का दोहन करना है।
- नीति को इस उद्देश्य के साथ अनुमोदित किया गया था,
 - **निर्यात टोकरी (Export Basket)** में विविधता लाकर, पहुँच और उच्च मूल्य एवं मूल्य वर्द्धति कृषि निर्यात को बढ़ावा देना जिसमें खराब होने वाली वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।
 - नवीन, स्वदेशी, जैविक, नृजातीय, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
 - **बाज़ार तक पहुँच को बढ़ावा देना**, बाधाओं तथा स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी मुद्दों से निपटने के लिये एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना।
 - **किसानों को विदेशी बाज़ार में निर्यात के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।**

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) एक गैर-व्यापारिक, वैधानिक निकाय है जिसने भारत की संसद द्वारा **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम** के तहत दिसंबर 1985 में पारित किया गया था।
- यह **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय **नई दिल्ली** में है।
- इसे **निर्यात प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों** जैसे- फल, सब्जियाँ, मांस उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मादक और गैर-मादक पेय आदि के विकास की ज़िम्मेदारी के साथ अनिवार्य किया गया है।
- इसे **चीनी के आयात की नगिरानी करने की ज़िम्मेदारी** भी सौंपी गई है।
- वर्ष 2017 में APEDA ने एक मोबाइल एप- "**किसान कनेक्ट (Farmer Connect)**" लॉन्च किया जिसका उद्देश्य किसानों को उनके खेत के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिये ऑन-लाइन प्रक्रिया लागू करना तथा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अनुमोदन और अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा लैब नमूनाकरण पर नज़र रखना है।

स्रोत: पीआईबी

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/transport-and-marketing-assistance-scheme>

